लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 075/2023 (GCMS 2023/314)	दायर दिनांक 18.10.2023	निर्णय दिनांक 14.11.2023

अनवान

दिलीप कुमार सुराणा पिता मोहनलाल सुराणा निवासी आईसीआईसीआई बैंक के पास मैन रोड शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 94615 98609)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.06.2023 एवं पुनः आवेदन दिनांक 03.08.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./075/2023(सू.अ.)(14.11.2023)/835 दिनांक 23.10.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 14.11.2023 अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर रहे एवं आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना जाहिर कर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/304

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 14.11.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार हैं :-

1. यह कि प्रार्थी श्री दिलीप कुमार सुराणा पिता मोहनलाल सुराणा निवासी आईसीआईसीआई बैंक के पास मैन रोड शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत दो आवेदन-पत्र इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2023 एवं 04.08.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थना-पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/102 दिनांक 23.06.2023 एवं पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/129 दिनांक 11.09.2023 को सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया हैं, जिस पर वांछित सूचना आदिनांक अप्राप्त हैं। (पत्र की प्रति संलग्न हैं)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई हैं जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन/अध्ययन/परिशीलन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग जिला कार्यालय से अपेक्षित होकर लोक सूचना को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से संबंधित होकर अपीलार्थी को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 मय आवेदन शुल्क के लोक सूचना अधिकारी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है, इस तथ्य को लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित कराया गया है। हमने अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 के बिन्दु संख्या 3 एवं 4 से चाही सूचना की विषय वस्तु एवं प्रकृति प्रश्नात्मक श्रेणी की हैं, ऐसी स्थिति अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के आवेदन पत्र एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 के बिन्दु संख्या 3 एवं 4 के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्मरण पत्र एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 का नियमानुसार निर्धारित समायावधि में निस्तारित किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी/ अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन–पत्र दिनांक 16.10.2023 जो कि इस न्यायालय में दिनांक 17.10.2023 को प्राप्त हुआ है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन एवं स्मरण पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में निस्तारण की विहित समयावधि में नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 में वर्णित बिन्दु संख्या 1 व 2 से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया हैं, एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता हैं कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समायावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया हैं, जिससे अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 17.10.2023 जो कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 को प्रेषित किया गया हैं, बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2023 एवं 03.08.2023 से वांछित बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से प्राप्त कर 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.11.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official